

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1205

1. मानवेन्द्र सिंह पुत्र हनुवन्त सिंह दत्तक पुत्र सुप्यार कंवर एवं उगमसिंह खंगारोत, जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, हाल निवासी 192 ए, जोशी मार्ग, कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

— अपीलान्त

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह खंगारोत, जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
3. गजेन्द्र सिंह खंगारोत पुत्र सुमेर सिंह खंगारोत जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रकरण संख्या 2/2024 पर पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 के संबध में।

उपस्थित :-

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री रामसिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री रोशन लाल शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

✓ अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1206

1. मानवेन्द्र सिंह पुत्र हनुवन्त सिंह दत्तक पुत्र सुप्यार कंवर एवं उगमसिंह खंगारोत, जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, हाल निवासी 192 ए, जोशी मार्ग, कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

— अपीलान्त

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह खंगारोत, जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
3. गजेन्द्र सिंह खंगारोत पुत्र सुमेर सिंह खंगारोत जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रकरण संख्या 2/2024 पर पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 व उक्त आज्ञा के तहत नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री रामसिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री रोशन लाल शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक—21.08.2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों में से अपील संख्या क्रमशः जीसीएमएस नम्बर 2025/1205 उनवान मानवेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह तहसीलदार जोबनेर जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जयपुर ग्रामीण के अपीलधीन निर्णय दिनांक 20.09.2024 एवं अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1206 उनवान मानवेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 ग्राम चिरनोटिया के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां से निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने मुन्तकिली/एल0आर0/1319/2025 /जयपुर उनवानी महेन्द्र सिंह बनाम पूनम, संभागीय आयुक्त जयपुर में निर्णय दिनांक 01.04.2025 से न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित की गयी है। अपील स्थानान्तरित होकर दर्ज रजिस्टर की गयी। चूंकि उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्त/प्रार्थी सं. 1 श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र हनुवन्त सिंह, जाति राजपूत, निवासी चिरनोटिया, तहसील जोबनेर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चिरनोटिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 245/131 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर जो सुप्यार कंवर पत्नि अगम सिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर के नाम दर्ज खातेदारी है सुप्यार कंवर पत्नी अगम सिंह उर्फ उगमसिंह निवासी चिरनोटिया पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील जोबनेर ने दिनांक 01.01.2016 को रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा प्रार्थी को गोद लिया था तथा सुप्यार कंवर का दिनांक 14.01.2024 को स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी के हक में मुताबिक गोदनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोलने के आदेश प्रदान करें। जिस पर पटवारी पटवार हल्का मुरलीपुरा की रिपोर्ट दिनांक 27.03.2024 को प्राप्त हुई कि गोदनामा के अलावा दुसरे व्यक्ति महेन्द्र सिंह पुत्र अगम सिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया द्वारा दिनांक 26.02.2024 को उक्त विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु आवेदन किया था जिस पर मौका पर्चा दिनांक 29.02.2024 को तैयार किया गया था दोनों व्यक्तियों द्वारा सुप्यार कंवर की विरासत का नामान्तकरण अपने-अपने पक्ष में खुलवाने का आवेदन किया है।

हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी संख्या 02 महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया ने भी सुप्यार कंवर पत्नि अगम सिंह की विरासत का नामान्तकरण अपने पक्ष में खुलवाने बाबत उपरोक्त ख.न. 245/131 रकबा 2.6555 हैक्टेयर वाके ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर का दिनांक 26.02.2024 को ऑनलाईन ई-मित्र द्वारा आवेदन किया गया था जिसकी पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.02.2024 को मौका पर्चा ग्राम चिरनोटिया में बनायी जिसमें ग्रामवासियों के बताये अनुसार अगमसिंह व सुप्यार कंवर के जायंदा वारिस नही होने से इन्होंने अपने जीवन काल में महेन्द्र सिंह को गोद लिया था उगमसिंह की मृत्यु 1978 में हो गई थी जिसका पगडी दस्तुर भी महेन्द्र सिंह के ही हुआ था। हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान कार्ड, बैंक पास बुक सुप्यार कंवर के नाम रजिस्ट्री व शपथ पत्र गवाह दिनांक 26.05.2024 बडवा जुगल सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी आसलपुर, स्वयं का शपथ पत्र गवाह रामसिंह का शपथ पत्र गवाह प्रताप सिंह का शपथ पत्र, गवाह गजेन्द्रसिंह का शपथ पत्र, गवाह विजय सिंह का शपथ पत्र, गवाह किसनसिंह का शपथ पत्र समस्त निवासी चिरनोटिया के पेश किये गये। जिसमे कथन किया गया है कि महेन्द्र सिंह को अगमसिंह उर्फ उगमसिंह के जीवनकाल में गोद लिया था व अगमसिंह का स्वर्गवास सन 1978 पर पगडी बांधने व सुप्यार कंवर की सेवा करने बाबत बयान दिये है। तथा विवादग्रस्त आराजी ख.न. 245/131 पर महेन्द्र सिंह द्वारा ही पूर्व से काबिज काश्त होकर चले आ रहा का कथन किया है महेन्द्र सिंह ने अपने कथनों में बताया की उपरोक्त आराजीयात जरिये विक्रय पत्र अपनी माता सुप्यार कंवर के नाम दिनांक 06.09.2004 को खरीद की थी जिसमें बतौर गवाह महेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है आधी जमीन 10 बीघा 10 बिस्वा अपनी पत्नि टंवर तंवर के नाम तथा आधी जमीन 10 बीघा 10 बिस्वा जमीन अपनी माता सुप्यार कंवर के नाम से खरीद की थी जिसकी मूल धन राशि भी महेन्द्र सिंह ने ही अदा की थी परिवार में पूर्व में सुमन सिंह के भाई प्रेमसिंह भी भंवर सिंह पुत्र गंगासिंह निवासी चिरनोटिया के गोद गये थे तथा पगडी का दस्तुर हुआ था भाईयों में गोद प्रथा का चलन पूर्व से ही था मानवेन्द्र सिंह का गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में पंजीकृत कराया गया जिसकी किसी को कोई सूचना भी नही थी महेन्द्र सिंह का सुगनसिंह चाचा लगता है तथा महेन्द्र सिंह के पगडी के दस्तुर में शामिल व सहमत था तथा सुप्यार कंवर की मृत्यु पर मुखाग्नि महेन्द्र सिंह ने ही दी थी तथा सम्पूर्ण क्रिया क्रम भी महेन्द्र सिंह ने ही किये थे लेकिन

हाल में सुगन सिंह द्वारा महेन्द्र सिंह से रंजिश वश दिनांक 01.01.2016 को फर्जी गोदनामा अपने पौत्र मानवेन्द्र सिंह के गुपचुप व गलत तरीके से उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में बना लिया है जिसकी किसी को कोई सूचना नहीं थी तथा हाल में महेन्द्र सिंह द्वारा अपने नाम फौती नामान्तकरण खुलवाने के आवेदन पश्चात तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है यह महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज दिनांक 26.05.2024 के विरोध में प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2024 पेश किया गया जिसका जवाब भी विपक्षी महेन्द्रसिंह द्वारा पेश किया गया। जिस पर प्रकरण जटिल होने से पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों को सूचित कर दिनांक 12.09.2024 को फर्द मौका रिपोर्ट बनायी गई तथा मौतविरान समस्त गवाहन को मौके पर पढकर सुनाया गया व साक्ष्य स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये।

जिस पर तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर जिला जयपुर ने प्रकरण अन्तर्गत नियम 135(2) लैंड रेकार्ड रूल्स बाबत विरासत नामान्तकरण में दर्ज किया गया तथा हाल अपीलान्त/प्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर तथा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये गये कि मृतक सुप्यार कंवर पत्नि अगमसिंह की विरासत का नामान्तकरण ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर में स्थित कृषि भूमि जो ख.नं 245/131 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर का हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी संख्या 02 महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह दत्तक पुत्र अगमसिंह उर्फ उगमसिंह के नाम दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2024 पारित किया गया। तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की पालना में नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया गया।

3. तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण के निर्णय दिनांक 20.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्त मानवेन्द्र सिंह पुत्र हनुवन्त सिंह दत्तक पुत्र सुप्यार कंवर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण के दिनांक 20.09.2024 एवं नामान्तकरण संख्या 721 पर पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलान्त के हक में नामान्तकरण खोले जाने व तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण का अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त के हक में स्वयं सुप्यारकंवर पत्नी स्व० अगमसिंह जी द्वारा गोद पत्र जो उपपंजीयक जयपुर के यहाँ पंजीकृत है प्रस्तुत हुआ है पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। स्वयं सुप्यारकंवर ने सहायक कलक्टर सांभर के समक्ष दावा उनवानी सुप्यार कंवर बनाम तंवर कंवर आदि का प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रस्तुत शपथ पत्र में सुप्यारकंवर ने रेस्पोडेन्ट नं. 2, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की पत्नी तंवरकंवर, पुत्र राजेन्द्र सिंह व रेस्पोडेन्ट नं० 2 के 3 अन्य भ्रातागण के विरुद्ध दावा बाबत रथाई निषेधाज्ञा का दिनांक 16.10.2008 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद का जवाब दावा मय काऊन्टर क्लेम प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया। व उसमें वादनी सुप्यार कंवर को रेस्पोडेन्ट नं. 2 के साथ रहना बताया एवं अपनी पत्नी व सुप्यार कंवर की भूमि पर अपना कब्जा होना अंकित किया। वादनी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। व अतिरिक्त कथन में कहना रहा कि उगमसिंह जी व वादनी ने उसे (प्रतिवादी नं. 2) को जून 1969 को गोद लिया। दिनांक 14.03.1979 को वादनी ने प्रतिवादी की शादी की व वह गोद पुत्र हैं। वादनी कभी भी सुगनसिंह के परिवार के साथ नहीं रही एवं विवादित भूमि पर प्रतिवादी नं. 2 का बहैसियत दत्तक पुत्र कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 24.10.2010 को वादनी ने सुगनसिंह के बहकावे में आकर धमकी दी इसलिए जयें काऊन्टर क्लेम रथाई निषेधाज्ञा से वादनी को प्रतिबन्धित कराने की डिग्री चाही उक्त जवाब दावा मय काऊन्टर क्लेम दिनांक 02.11.2010 को प्रतिवादी नम्बर 2 (रेस्पोडेन्ट नं. 1) ने पेश किया। वादनी सुप्यार कंवर ने दिनांक 07.12.2010 को प्रतिवादीयान के जवाब मय काऊन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें सुप्यारकंवर ने मय शपथ पत्र दिया व उसमें सुगनसिंह के परिवार के साथ निवास करना कहा एवं महेन्द्र सिंह के साथ रहने से इन्कार किया व गोद लेने से इन्कार किया महेन्द्रसिंह को सुमेरसिंह का गोद पुत्र होना कहा महेन्द्रसिंह के कब्जे

के कथन को अस्वीकार किया गोद की कोई निश्चित दिनांक नहीं बताई, बल्कि जवाब दावा टाईप होने के बाद जून 1969 का पेन से अंकन किया है। गोद की कोई लिखावट नहीं है। महेन्द्रसिंह जो कि दसवीं तक पढ़ा है के स्कूल रिकार्ड में उसका नाम महेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह है। वादनी ने प्रतिवादी नं. 2 की कोई शादी नहीं की वोटर लिस्ट, राशन कार्ड व यह नरेगा में जो नाम का अंकन जाहिर किया है वह भी बिना वादनी की सहमति से है जिसका वादनी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

उक्त वाद व प्रतिवादी पत्र काऊन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत होने पर साक्ष्य में प्रकरण चला वादनी की साक्ष्य के पश्चात् प्रतिवादीगण की साक्ष्य में पत्रावली आई प्रतिवादीगण तवरकंवर आदि की और से स्वयं महेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश हुआ महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह ने अपने शपथ पत्र में अपने आपको सन् 1969 में गोद लेना कहा। उगमसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् वादनी ने मुझे प्रतिवादी नं. 2 की शादी दिनांक 14.03.1979 को की इस प्रकार मैं दत्तक पुत्र हूँ। उगमसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादनी मेरे साथ ही रहती है। परिवार की सदस्य है व वादनी की सेवा पूजा बहैसियत दत्तक पुत्र करता आ रहा हूँ। जिरह में महेन्द्रसिंह का कहना रहा कि मुझे मेरे जन्म साल पता नहीं है न मेरे तीनों भाईयों की जन्म तारीख व साल मुझे मालूम नहीं, यह सही है कि 10 वीं कक्षा तक स्कूल रिकार्ड में मेरे पिता का नाम सुमेरसिंह दर्ज है एवं जिरह में गोद की कोई लिखावट न होना फोजदारी प्रकरण सुप्यारकंवर ने मेरे विरुद्ध होना व उसमें धारा 447, 427 लगाना व चार्जशीट पेश होना माना है। इसके अलावा अन्य कथन भी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी कि जिससे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गोद का पुत्र होना साबित हो लेकिन बिना कोई साक्ष्य के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को दत्तक पुत्र मानकर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत गोद लेने वाले माता पिता को गोद देना व गोद देने व लेने की स्वीकृति दोनों और से होना आवश्यक है। स्वयं रेस्पोंडेन्ट कहीं भी गोद की कोई तारीख नहीं बताता है एवं उसके द्वारा कब सैरेमनी हुई बताता है। न कोई गवाह गोद के सम्बन्ध में पेश हुआ श्री जुगलसिंह पुत्र भंवरसिंह राव का शपथ पत्र पेश हुआ जिसने कोई बडवाजी पोथी पेश ही नहीं की न कोई दिनांक है एवं शपथ पत्र कानूनन शपथ पत्र की परिभाषा में नहीं आता है। यही नहीं उक्त शपथ पत्र पर प्रार्थी को जिरह का कोई मौका ही नहीं दिया गया। द्वितीय शपथ पत्र महेन्द्रसिंह का प्रस्तुत हुआ इसमें भी गोद के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है व रजिस्टर्ड गोदनामा जो अपीलान्ट के हक में है को फर्जी कहते हैं ऐसी स्थिति में गोदनामे को निरस्त करने की कोई कार्यवाही आज दिवस तक नहीं हुई है। तृतीय शपथ पत्र रामसिंह पुत्र सुमेरसिंह का है जो भी गोद के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता है कि कब गोद हुआ। चौथा शपथ पत्र प्रतापसिंह पुत्र सुमेरसिंह का है। पांचवा शपथ पत्र गजेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह का है। इस प्रकार रामसिंह, प्रतापसिंह जो महेन्द्रसिंह के खास भाई हैं कोई विश्वसनीय गवाह नहीं है व उनके शपथ पत्र भी किसी भी रूप में शपथ पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। सातवां शपथ पत्र मोहनसिंह पुत्र रतनसिंह का है। छटा शपथ पत्र राजवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह का है। आठवां शपथ पत्र विजयसिंह पुत्र गणपत सिंह का है। नवां शपथ पत्र किशनसिंह पुत्र समन्दरसिंह का है। उक्त छटा से नवां शपथ पत्र में कहीं भी सम्बन्ध का जिक्र नहीं है व एक ही शपथ पत्र है व शपथ पत्र शपथ पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 महेन्द्रसिंह की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2024 की फर्द मौका मजमेआम चिरनौटिया की आम सभा का विवरण पेश किया जिसमें महेन्द्रसिंह को अगमसिंह द्वारा गोद लेने का तथ्य पगड़ी पाटा आदि अंकित कर वारिस होना कहा है जबकि कानूनन ग्राम वासियों को वारिस घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई गौर न कर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। पटवारी हल्का मुरलीपुरा की मौका पर्चा दिनांक 29.02.2024 का प्रस्तुत हुआ जबकि प्रकरण दिनांक 27.03.2024 को दर्ज किया जाता है। दिनांक 29.02.2024 का फर्द मौका पर्चा सरासर क्षेत्राधिकार बाहर है कि जिस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 का फर्द मौका तहसीलदार जोबनेर व पटवारी मुरलीपुरा नं. 5 मोतबीरान के हस्ताक्षर युक्त शामिल मिसल है उक्त

अतिरिक्त सहाय्य आयुक्त
जयपुर

मौका रिपोर्ट का कोई नोटिस नहीं दिया गया है व उक्त मौका रिपोर्ट में कहीं भी गोद का प्रश्न ही अंकित नहीं है कि कब किसके सामने गोद लिया गोद के समय कौन-कौन उपस्थित थे कितनी तारीख को लिया गया एवं पगड़ी का दस्तुर कब हुआ यही नहीं एक व्यक्ति हनुमन्त सिंह पुत्र सुगनसिंह का उल्लेख कर मानवेन्द्रसिंह ही सुप्यारकंवर की देखभाल एवं मृत्युपरान्त समस्त क्रियाकर्म आदि मानवेन्द्र सिंह व उसके परिवारजनों द्वारा करना कहा है जबकि यदि गोदपुत्र महेन्द्रसिंह जो बनता है द्वारा सुप्यारकंवर के क्यों नहीं किये गये पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में भूल की है। प्रार्थी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2024 को अपनी आपत्ति भी पेश की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी आपत्तियों को निर्णित न कर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की है। अपीलान्त की जिसके हक में गोदनामा पंजीकृत है व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में कोई गोदनामा लिखित या पंजीकृत नहीं है न गोद किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य व जुबानी साक्ष्य से साबित है लेकिन बिना किसी साक्ष्य के रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को मृतक सुप्यारकंवर का वारिस मानने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की है। यह निर्विवाद है कि सुप्यारकंवर व रेस्पोजेन्ट के मध्य दावा सहायक कलक्टर सांभरलोक में विचाराधीन रहा व वर्तमान में दावा जोबनेर उपखण्ड अधिकारी के विचाराधीन है व जब दावा विचाराधीन है तो नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं हो सकती कि जिस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है। ग्राम मुरलीपुरा में सुमेरसिंह की खातेदारी की भूमि व अन्य सहखातेदारों की भूमि स्थित है जिसमें स्वरूप कंवर पत्नी सुमेरसिंह के फौत होने पर उनके हिस्से की भूमि महेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह के हिस्सा 1/38, रामसिंह पुत्र सुमेरसिंह हिस्सा 1/38, गजेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह हिस्सा 1/38, प्रतापसिंह पुत्र सुमेरसिंह हिस्सा 1/38 भाग दर्ज रिकार्ड है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट महेन्द्रसिंह, सुमेरसिंह का पुत्र है उगमसिंह उर्फ अगमसिंह सुप्यारकंवर का पुत्र नहीं है न हो सकता है। कि जिस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर भूल की है। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को लाभान्वित करने की गर्ज से सभी कानून व नियमों को बलाए ताक रखकर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की है। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने से भी निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के तहत नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में उसकी अपील भी श्रीमान के समक्ष अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर के निर्णय दिनांक 20.09.2024 एवं नामान्तकरण संख्या 721 पर पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलान्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्त के हक में नामान्तकरण स्वीकार करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2024 एवं नामान्तकरण संख्या 721 पर पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।
7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद सुप्यार कंवर पत्नि अगम सिंह की विरासत के नामान्तकरण को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर (जयपुर) की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मानवेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 12.03.2024 से निर्णय दिनांक तक अपने पहचान दस्तावेज पेश नहीं किये है व नहीं कभी तारीख पेशी पर आया है तथा प्रार्थी मानवेन्द्र द्वारा दिनांक 17.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया जिसमें ना तो प्रार्थी स्वयं उपस्थित है तथा ना ही अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज करवायी है। उपरोक्त दस्तावेज सुगनसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थी मानवेन्द्र के प्रार्थना पत्र में दर्ज कथन तथा गवाहान के बयानों से स्पष्ट है कि जिसमें प्रार्थी को अपने हक में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु गोदनामा दिनांक 01.01.2016 के आधार पर प्रार्थना की है। प्रार्थी मानवेन्द्र ने अपने गोदनामे के अलावा कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा प्रार्थी स्वयं कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया केवल

प्रतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दस्तावेज प्रार्थी के पिता सुगनसिंह पुत्र गुमानसिंह द्वारा पेश किये गये हैं। गोदनामा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जयपुर में पंजीयन कराया गया है तथा गोद जाने वाले की उम्र भी 16 वर्ष से अधिक है जो विधि अनुरूप नहीं है। अगम सिंह उर्फ उगम सिंह की मृत्यु सन 1978 को हो गई थी उसके पश्चात उनकी पत्नि सुप्यार कंवर द्वारा दिनांक 01.01.2016 को गोदनामा बनाया गया। जो उगमसिंह की मृत्यु के 37 वर्ष बाद बनाया गया है जब सुप्यार कंवर की आयु 78 वर्ष की थी वह बीमार रहती थी जो उसके मेडिकल दस्तावेज में साबित है गोदनामा पर सुप्यार कंवर के अंगूठा निशानी है जबकि पूर्व में रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे गोदनामा संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा अपने दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक पासबुक आदि पेश किये गये हैं जिसमें महेन्द्र पुत्र उगमसिंह नाम दर्ज है अपनी माता सुप्यार कंवर के नाम दिनांक 06.09.2004 के विक्रय पत्र में बतौर गवाह महेन्द्रसिंह पुत्र उगम सिंह दर्ज है तथा हस्ताक्षर है अपनी पत्नी व माता सुप्यार कंवर के नाम एक साथ एक दिन ही रजिस्ट्री पंजीयन करवायी गयी है कब्जा काशत महेन्द्रसिंह का ही चला आ रहा है गवाह जुगल किशोर बडवा द्वारा पगडी का दस्तुर व गोद लेना महेन्द्रसिंह को बताया है गवाह रामसिंह, प्रताप सिंह, गजेन्द्र सिंह, राजवीर सिंह, मोहन सिंह, विजय सिंह, किशन सिंह निवासी चिरनोटिया ने भी महेन्द्रसिंह को अगमसिंह के जीवनकाल में गोद लेने व मृत्यु उपरान्त पगडी का दस्तुर होना बताया तथा माता सुप्यार कंवर की सेवा करना बताया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.02.2024 व दिनांक 12.09.2024 के आधार पर यह साबित होता है कि स्व0 अगमसिंह उर्फ उगमसिंह ने अपने जीवनकाल में महेन्द्र को गोद लिया था तथा राजपूत समाज के अनुसार पगडी का दस्तुर हुआ था उसके पश्चात उक्त जमीन पर काबिज काशत महेन्द्र सिंह ही चला आ रहा है पूर्व में गोद लिये जाने के पश्चात दुबारा गोद लेना विधि विरुद्ध व शून्य है। अगमसिंह की मृत्यु सन् 1978 के 37 वर्ष पश्चात गोदनामा अपने आप में संदिग्ध है व सुप्यार कंवर की उम्र 78 वर्ष व बीमार रहने से उक्त गोदनामा के पंजीयन पर भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर (जयपुर) ने प्रार्थी मानवेन्द्र का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर तथा प्रार्थी महेन्द्र सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये गये हैं कि मृतक सुप्यार कंवर पत्नि अगमसिंह की विरासत का नामान्तरण ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर में स्थित कृषि भूमि जो ख.नं. 245/131 कुल किता 1 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर का प्रार्थी संख्या 02 महेन्द्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह दत्तक पुत्र अगमसिंह उर्फ उगमसिंह के नाम दर्ज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2024 पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर (जयपुर) के अपीलाधीन निर्णय 20.09.2024 एवं तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की पालना में नामान्तरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया गया में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर (जयपुर) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2024 एवं 07.10.2024 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि – अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर (जयपुर) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2024 एवं तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की पालना में नामान्तरण संख्या 721 दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया गया को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त सहायक अधीनस्थ न्यायालय
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सहायक अधीनस्थ न्यायालय
जयपुर